कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)

क्रमांक 203 / सत्कार / 2011 छतरपुर, दिनांक 11 / 08 / 2011

: वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना :
(द्वितीय आमंत्रण)

कलेक्टर कार्यालय छतरपुर में सत्कार शाखा हेतु मासिक एवं दैनिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु **(पूर्ववत शर्तो के अनुसार द्वितीय आमंत्रण)** निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी एवं वाहन मालिक 100--00 (एक सौ रूपये) नगद राशि अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर जिला छतरपुर के पक्ष में देय होगा, जमा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (सत्कार शाखा) से कार्यालयीन समय पर निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक शर्ते दिनांक **09.09.2011** तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा हेतु वाहन के प्रकार निम्न हैं :-

1. स्कार्पियो ।
2. ईनोवा ।
3. बोलेरो ।

प्रस्तुत निविदायें दिनांक **15.09.2011 अपरान्ह 3.00** बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी तथा उसी दिनांक **15.09.2011 को समय 4.00** बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेंगी। आवेदनो के साथ प्रतिभूति की राशि 10000--00 (दस हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर जिला छतरपुर के पक्ष में पंजीकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर जिला छतरपुर के पास सुरक्षित होगा।

निविदा की शर्तो का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय (सत्कार शाखा) अथवा छतरपुर जिले की एन.आई.सी. वेवसाईड (http://chhatarpur.nic.in) पर किया जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

डिप्टी कलेक्टर
कलेक्टर
जिला छतरपुर, म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर छतरपुर द्वारा निम्नानुसार शर्तों के तहत वाहन किराये पर लिया जाना है :–

कार्यालय कलेक्टर छतरपुर हेतु वाहन किराये पर लिये जाने की शर्तें

1. वाहन स्कार्पियो, ईनोवा, बोलेरो एवं मॉडल वर्ष 2009 से पुरानी नहीं होनी चाहिए एवं वाहन ए0सी0 होना चाहिए।
2. वाहन टेक्सी परमिट का होना चाहिए।
3. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत वाहन प्रदाता से अनुबंध करते समय सुरक्षा निधि के रूप मे रूपये 10000/– की राशि जमा कराई जावेगी जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहन प्रदाता को वापसी योग्य होगी। यदि निविदाकार चाहे तो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट की राशि सुरक्षा निधि के रूप में समायोजन कर जमा की जा सकती है।
4. वाहन के अनुबंध की अवधि एक वर्ष की रहेगी जो कि एक वर्ष उपरांत दोनों पक्षों की सहमति से बढाई जा सकेगी।
5. वाहन की प्रति लीटर डीजल की औसत खपत 10 कि0मी0 से कम नहीं होगी। इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता पर क्षतिपूर्ति की जबावदारी होगी।
6. किराये की अवधि में डीजल एवं होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–टयूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
7. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जाया जायेगा। वाहन के ड्राईवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करें।
8. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में नई स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिए के टायर–टयूब अच्छे होना चाहिए व माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्ममेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
9. वाहन प्रदाता को हर समय अपने ड्राईवर को कार्य के लिये तैयार रहने का आदेश देना होगा।
10. वाहन मय ड्राईवर के उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ड्राईवर का वेतन व भत्ता व अन्य खर्चे जिससे वाहन चालक का दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल, वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
11. वाहन प्रदाता के द्वारा बिना अनुमति के वाहन चालक नहीं बदला जा सकेगा। वाहन प्रदाता/वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
12. वाहन प्रदाता के ड्राईवर के ड्राईविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशर इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होगें। वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में होना चाहिए।
13. वाहन के संबध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी वाहन प्रदाता की होगी।
14. रास्ते में वाहन खराब (फेल) होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को अन्य वाहन अबिलंब उपलब्ध कराना होगा। इससे 2 घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जायेगा। वाहन को खराब (फेल) होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता करेगा।

Cont....

15. वाहन प्रदाता को उपयोगकर्ता अधिकारी की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
16. वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा। प्रमाणित लागबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. माइलोमीटर की गढ़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जायेगा।
18. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं होगा।
19. प्रत्येक निविदाकार को नियत्रंण अधिकारी/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले तत्संबंधी आदेश मान्य होंगे।
20. यात्रा की अवधि कलेक्टर कार्यालय / अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से नियत की जावेगी।

कलेक्टर
जिला छतरपुर (म0प्र0)